भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.534

जिसका उत्तर 28.11.2024 को दिया जाना है

वाहन स्क्रैपेज नीति

534. श्री बी. मणिक्कम टैगोर :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में वाहनों की मियाद समाप्त होने पर इन्हें जब्त करने और कार्रवाई फिर से शुरू होने के बाद कितने वाहनों को जब्त किया गया है;

(ख) सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करेगी कि वाहन मालिकों को केंद्रीय इस्पात मंत्रालय की दरों के अनुसार स्क्रैप किए गए वाहनों के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाए;

(ग) परिवहन के लिए पुराने वाहनों पर निर्भर रहने वाले कम आय वाले परिवारों पर आर्थिक बोझ के संबंध में चिंताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे;

(घ) दिल्ली में वाहन स्क्रैपेज नीति के कार्यान्वयन के बाद से प्रदूषण के स्तर में कमी संबंधी आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार वाहन मालिकों को इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड वाहनों जैसे स्वच्छ, किफायती विकल्पों को अपनाने में किस प्रकार सहायता करेगी;

(च) दिल्ली में वाहन स्क्रैपेज नीति को लागू करने की अनुमानित लागत कितनी है; और

(छ) वाहन की मियाद सीमा निर्धारित करने के मानदंड और डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष निर्धारित करने का वैज्ञानिक आधार क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिन वाहनों की समयावधि (एंड ऑफ लाइफ) (ईएलवी) पूर्ण हो गई है, उन पर दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के परिवहन विभाग (जीएनसीटीडी) द्वारा 11.10.2024 से कार्रवाई फिर से शुरू की गई। तब से, जीएनसीटीडी के परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमों द्वारा 2,445 वाहनों को जब्त किया गया है।

(ख) (i) सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों की स्क्रैपिंग, दिनांक 16.01.2023 की अधिसूचना सा.का.नि. 29(अ) के अनुरूप की जा रही है। इस्पात मंत्रालय ने दिनांक 23.01.2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सरकारी वाहनों के आरक्षित मूल्य और ऐसे वाहनों की नीलामी के लिए एमएसटीसी द्वारा

वसूले जाने वाले सेवा शुल्क के निर्धारण के लिए सूत्र प्रसारित किया है। इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दिया गया है।

(ii) भारत सरकार की अधिसूचना सा.का.नि 653 (अ) दिनांक 23.09.2021 (और बाद के संशोधनों) के अनुसार स्थापित सभी आरवीएसएफ निजी प्रतिष्ठान हैं। स्क्रैप किए जाने वाले निजी वाहनों की उचित कीमत निर्धारित करने में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इन वाहनों की कीमत बाजार की कंपनियों द्वारा स्क्रैप किए जाने वाले वाहन की स्थिति के अनुसार तय की जाती है।

(ग) नागरिकों को अपने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं:-

(i) सा.का.नि अधिसूचना 714(अ) दिनांक 04.10.2021 में प्रावधान है कि, यदि वाहन 'जमा प्रमाणपत्र' जमा करने के एवज में पंजीकृत होता है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

(ii) सा.का.नि अधिसूचना 720 (अ) दिनांक 05.10.2021 में "जमा प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने के एवज में पंजीकृत वाहन के लिए मोटर वाहन कर (गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पच्चीस प्रतिशत तक और परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह प्रतिशत तक) में रियायत का प्रावधान है। बशर्ते कि यह रियायत परिवहन वाहनों के मामले में आठ वर्ष तक, तथा गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह वर्ष तक उपलब्ध होगी।

(घ) भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार सा.का.नि 653 (अ) दिनांक 23.09.2021 (और बाद के संशोधनों) के अनुसार, स्क्रैप किए गए वाहन के घातक हिस्सों को हटाने या पुनर्चक्रण या निपटान का कार्य, एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों का पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन और एआईएस-129 के लिए सीपीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना है। उक्त दिशा-निर्देशों में धातुओं और अन्य सामग्रियों की पुनः प्राप्ति के लिए ई.एल.वी. के प्रदूषण-मुक्त और विघटन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और अवसंरचना सुविधाओं तथा पर्यावरण विनियमों के अंतर्गत आवश्यकताओं की रूपरेखा दी गई हैं।

(ङ) (i) भारत सरकार ने 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय से पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना को अधिसूचित किया है, जिसे 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू किया जाएगा, ताकि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को तेजी से अपनाने, चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना और ईवी विनिर्माण परितंत्र के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।

(ii) भारत सरकार ने सा.का.नि 625 (अ) दिनांक 11.08.2022 के तहत सीएनजी किट के रेट्रोफिटमेंट (उपयोग में लाए जा रहे बीएस VI डीजल इंजन के स्थान पर नए सीएनजी इंजन का प्रतिस्थापित करना) के संबंध में मानदंडों को अधिसूचित किया है।

(iii) इसके अलावा, भारत सरकार ने वाहनों में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रिक किट के रेट्रो-फिटमेंट के लिए सा.का.नि 167 (अ) दिनांक 01.03.2019 को भी अधिसूचित किया है और उनके अनुपालन मानक एआईएस 123 के अनुसार होंगे।

(च) भारत सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है जिसमें पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु प्रोत्साहन/हतोत्साहन की एक प्रणाली शामिल है। नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए, मोटर यान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के ढांचे के तहत नियम अधिसूचित किए गए हैं। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें नीति के कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं।

(छ) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 41(7) में मोटर वाहन के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता का प्रावधान है। हालाँकि, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (डबल्यूपी) संख्या 13029/1985 (एमसी मेहता बनाम भारत संघ) में दिनांक 29.10.2018 के आदेश के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के परिवहन विभागों को निर्देश दिया है कि एनजीटी के दिनांक 07.04.2015 के आदेश के अनुसार 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चलेंगे।

*****